आदेश का क्र० संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
07/07/2022	**प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **एस0 ए0 आर0 रिवीजन 72 / 2017** **चन्दन कुमार सिंह एवं अन्य बनाम् राज्य एवं जतरू मुण्डा** प्रश्नगत् पुनरीक्षण आवेदन उपायुक्त, राँची द्वारा एस0 ए0 आर0 अपील क्रमांक–79–R15/2014-15 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। मूलतः विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा वाद संख्या–476 / 2012–13 में खाता नम्बर–76, प्लॉट–150, रकबा–08 कट्ठा, ग्राम–कमड़े को मुआवजा भुगतान के आधार पर विनियमित करने का आदेश पारित किया गया था। आवेदकों के द्वारा अपनी पुनरीक्षण आवेदन में प्रश्नगत् भूमि को किस तरह से इनके द्वारा दखल किया गया, इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अपीलीय न्यायालय में उक्त भूमि के वर्ष–1946 में सादा बंदोबस्ती से प्राप्त करने का दावा किया गया था। प्रश्नगत् भूमि पर उनका मकान निर्मित है, जिस कारण विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा उन्हें मुआवजा भुगतान के आधार पर विनियमन का आदेश पारित किया गया। उपायुक्त द्वारा स्वयं प्रेरणा से सुनवाई करते हुये उक्त आदेश को रद्द किया गया है, जो अनुचित है। प्रश्नगत् वाद में पुनरीक्षण आवेदन दायर करने के पश्चात् से ही आवेदक न्यायालय में नियमित रूप से उपस्थित नहीं रहे हैं। आवेदकों के तरफ से अंतिम हाजिरी दिनांक–16.09.2019 को दायर की गयी थी। इसके पश्चात् आवेदक लगातार अनुपस्थित है। उनके द्वारा लगातार मौका देने के बाद भी ऐसे कोई साक्ष्य अथवा तथ्य उपलब्ध नहीं कराये गये तथा वे न्यायालय से अनुपस्थित रहें। निम्न न्यायालय के अभिलेख एवं आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा बिना किसी ठोस आधार के एवं साक्ष्यों का उचित अध्ययन एवं आंकलन किये बगैर प्रश्नगत् भूमि पर वर्ष–1969 के पूर्व निर्माण होने का निष्कर्ष निकाला गया एवं उक्त निष्कर्ष के उपरान्त मुआवजा भुगतान के आधार पर भूमि को विनियमित कर दिया गया। यह सम्पूर्ण कार्रवाई आदिवासी भूमि	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश ... गई कार्... बारे मे टि... तारीख के साथ।
	के हस्तांतरण को विनियमन करने हेतु मिलीभगत से की गयी कार्रवाई थी। उपायुक्त न्यायालय द्वारा प्रश्नगत् स्थल का निरीक्षण भी कराया गया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि उक्त भूमि पर किये गये निर्माण निकट काल में ही किये गये थे। इस प्रकार निम्न न्यायालयों द्वारा मिली भगत से पारित आदेश को आदेश जो कास्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत था, उपायुक्त न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया। इस न्यायालय में आवेदकों का आचरण पूर्णत असहयोगात्मक रहा है तथा वे लगातार न्यायालय से अनुपस्थित है। स्पष्टतः वे मात्र इस विषय को न्यायिक प्रक्रिया में लम्बित रखना चाहते है, जिससे कि आदिवासी भूमि पर उनकी दखल कायम रहें। आवेदकों के पास ऐसा कोई तथ्य नहीं है, जिससे कि प्रश्नगत् भूमि पर उनके द्वारा वैधानिक रूप से हस्तांतरित किये जाने एवं Schedule Area Regulation-1969 के पूर्व उक्त भूमि पर समुचित निर्माण होने के संबंध में कोई भी साक्ष्य उपलब्ध हो। प्रश्नगत् भूमि पर निर्माण वर्ष–2010 में किये गये है, जैसा कि अपीलीय न्यायालय के जाँच प्रतिवेदन में स्पष्ट हुआ। वर्णित परिस्थिति में इस पुनरीक्षण आवेदन को मान्य करने का कोई आधार नहीं है। अतः इसे खारिज किया जाता है। आवेदक उनके द्वारा भुगतान की गयी मुआवजे की राशि को वसूली हेतु स्वतंत्र है। लेखापित एवं संशोधित Kulkarni 7/7/22 प्रमण्डलीय आयुक्त Kulkarni 7/7/22 प्रमण्डलीय आयुक्त	

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.09.05 12:33:42 +05:30
Location: 192.168.1.40